मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
–00–
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 19/05/2025

File No.:TSE/0230/2025-SEC-5-MP-DTE.451050::::::: राज्य शासन एतद् द्वारा ब्लॉक ग्रांट के रूप में अनुदान प्राप्त प्रदेश की तकनीकी संस्थाओं एसएटीआई (डिग्री) विदिशा, एमआईटीएस ग्वालियर, एसजीएसआईटीएस इंदौर, श्री वैष्णव पोलीटेकनिक इंदौर एवं एसएटीआई (पोलीटेक्निक) विदिशा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील क्र. **6415/2004** में पारित निर्णय **07** जनवरी **2014** के अनुसार वर्ष **2000** के पूर्व से संस्थाओं में शासन द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त शिक्षकों एवं गैर-शिक्षकीय अमले को देय वेतन भत्तों आदि की राशि संधारण अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने के संबंध में **मंत्रि-परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक-11, दिनांक 13-05-2025 से मे निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि-**

1. प्रदेश की तकनीकी संस्थाओं एसएटीआई (डिग्री) विदिशा एमआईटीएस ग्वालियर , एसजीएसआईटीएस इंदौर, श्री वैष्णव पोलीटेकनिक इंदौर एवं एसएटीआई (पोलीटेक्निक) विदिशा में वर्ष **2000** के पूर्व से शासन दवारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक अमले को देय वेतन भत्तों तथा सेवानिवृत/पदत्याग अथवा दिवंगत होने से एकमुश्त लंबित दायित्वों की राशि रु. **89.96** करोड़ तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रस्तावित अनुदान की कुल राशि रु. **66.19** करोड़, कुल राशि रु. **156.15** करोड़ प्रदान की जावे। व्ययभार की प्रकृति एवं उल्लेखित संस्थाओं के कार्मिकों को भुगतान समस्त सुसंगत नियमों के अध्याधीन किया जावे।

2. उक्त राशि का समायोजन वर्ष **2025-26** के अगले अनुपूरक बजट में मांग संख्या **047-2203-**तकनीकी शिक्षा**-0101-** आयोजना (सामान्य)**-104-**अराजकीय तकनीकी कॉलेज और संस्थाओं को सहायता**-9143-**गैर सरकारी तकनीकी कॉलेज और संस्थाओं को सहायता**-42-**सहायक अनुदान**-002-**संधारण अनुदान (वेतन-भते, मानदेय इत्यादि) के अंर्तगत समायोजन किया जावे।

3. अशासकीय संस्थाओं में वर्ष **2000** के बाद कार्यरत शिक्षकों एवं गैर-शिक्षकीय अमले के वेतन भत्तों एवं अन्य व्यय संस्था के द्वारा अर्जित विभिन्न स्त्रोतों से होने वाली आय से किया जावे, कोई अतिरिक्त आवश्यकता या कमीवेशी होने की स्थिति में संस्था प्रवेश शुल्क एवं विनियामक समिति (AFRC) या मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (MPPURC) (जो लागू हो) के माध्यम से शुल्क निर्धारण करें।

4. संस्था को प्रदाय किये जाने वाली अनुदान राशि का उपयोग वर्ष **2000** के पूर्व के शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय अमले के वेतन-भत्तों एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान हेतु ही किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में वर्ष **2000** के बाद के अमले हेतु नहीं किया जावेगा। यदि प्रदाय की गई अनुदान राशि में कोई बचत होती है तो संस्था द्वारा उसे शासन को वापस किया जावेगा।

File No. 3/0007/2025-RULE-04(FIN) (Computer No. 530241)
Generated from eOffice by ABHISHEK CHOHAN, US(AC)-FIN(RULE), UNDER SECRETARY, FINANCE on 20/05/2025 11:05 am

//2//

5. वित्तीय सलाहकार से परीक्षण उपरांत तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा से अंकेक्षण के अध्याधीन ही भुगतान किया जावे।

6. उपरोक्त विशेष प्रकरण को पूर्व उदाहरण नहीं माना जावे।

2/- उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक............. दिनांक..........द्वारा महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

Digitally signed by
RAKESH KUSHRE
Date: 15-05-2025
14:38:34

(राकेश कुशरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास
एवं रोजगार विभाग

पृष्ठ क्र. 850-51/2025 वित्त विभाग के दिनांक 19.5.2025 की दो प्रतियाँ (अतिरिक्त प्रति सहित) महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को वित्त विभाग के पृ.क्र. 739-740/25/B/4/10 द्वारा पृष्ठांकित दिनांक 19/5/25 की गई।

अभिषेक चौहान
अवर सचिव (वित्त)
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय, भोपाल

पृ.No.:TSE/0230/2025-SEC-5-MP-DTE.451050 भोपाल, दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपिः-

1. सेक्रेट्री जनरल/स्टैन्डिग कॉउन्सिल म.प्र. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
4. उप सचिव, म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित विभाग।
6. महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
7. निज सचिव, सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय
8. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय।
9. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय।
10. संबंधित संस्था
11. संबंधित कोषालय अधिकारी...।
12. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Signed
(राकेश कुशरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास
एवं रोजगार विभाग

File No. 3/0007/2025-RULE-04(FIN) (Computer No. 530241)
Generated from eOffice by ABHISHEK CHOHAN, US(AC)-FIN(RULE), UNDER SECRETARY, FINANCE on 20/05/2025 11:05 am